निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 83/2024
दायरा दिनांकः—01.10.2024
निर्णय दिनांकः—17.11.25

उनवान

1. राजेन्द्र आयु 32 वर्ष आत्मज श्रीलाल जाति मेहर निवासी ग्राम अमीनपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. बबलु आयु 30 वर्ष आत्मज श्रीलाल जाति मेहर निवासी ग्राम अमीनपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. अनार बाई आयु 70 वर्ष पुत्री घांसी जाति मेहर निवासी अमीनपुरा तहसील छबडा बारां जिला बारां (राज0)
2. कैलाश आयु 55 वर्ष आत्मज घांसी जाति मेहर निवासी अमीनपुरा तहसील छबडा बारां जिला बारां (राज0)
3. बदरी बाई आयु 65 वर्ष पुत्री घांसी जाति मेहर निवासी अमीनपुरा तहसील छबडा बारां जिला बारां (राज0)
4. श्रीलाल आयु 60 वर्ष पुत्री घांसी जाति मेहर निवासी अमीनपुरा तहसील छबडा बारां जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)
6. उप पंजीयन अधिकारी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः—17.11.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह — प्रार्थी
2. श्री बनवीर मेहता 1,3,4

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम अमीनपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान मे भूमियां खसरा नम्बर 167 रकबा 0.5184 हैक्टीयर खसरा नम्बर 168 रकबा 1.6691 हैक्टीयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.4426 हैक्टीयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.6301 हैक्टीयर अवस्थित है जो वादीगण के पिता अप्रार्थी कम संख्या 4 श्रीलाल तथा अप्रार्थीगण कम संख्या 1 लगायत 3 के शामलाती खातेदारी अर्थात राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित शामलाती खाते की भूमियो मे प्रार्थीगण के पिता श्रीलाल जो अप्रार्थी कम संख्या 4 है का हिस्सा 1/4, तथा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

र्थी कम संख्या 1 का हिस्सा 1/4 एंव अप्रार्थी कम संख्या 2 का हिस्सा 1/4, इसी कार अप्रार्थी कम संख्या 3 का हिस्सा 1/4 है। उक्त वर्णित भूमियां पैत्रिक सम्पत्ति है जो पूर्व मे प्रार्थीगण के ग्रान्ड फादर अर्थात प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी कम संख्या 4 श्रीलाल एंव अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 3 के पिता घांसी की खातेदारी मे दर्ज चली आ रही थी। शामलाती खाते की उक्त वर्णित भूमियां पैत्रिक सम्पत्ति होने एंव वह मिताक्षरा पद्धति से शषित होने के कारण उक्त वर्णित भूमियो के शामलाती खातेदार अर्थात प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी कम संख्या 4 श्रीलाल के हिस्सा 1/4 पर प्रार्थीगण जो कि अप्रार्थीगण कम संख्या 4 श्रीलाल के पुत्र है। का जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अप्रार्थी क्रम संख्या 4 श्रीलाल के हिस्से की भूमियों में वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त है। उक्त वर्णित भूमियां पैत्रिक सम्पत्ति होने एंव मिताक्षर पद्धति से शाषित होने एंव हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् प्रार्थीगण का जन्म से ही वैधानिक एंव कानूनी अधिकार प्राप्त होने के कारण प्रार्थीगण अपने पिता श्रीलाल अप्रार्थी कम संख्या 4 के हिस्सा 1/4 पर प्रार्थीगण एवं स्वयं अप्रार्थी कम संख्या 4 श्रीलाल समभाग से अर्थात प्रार्थी कम संख्या 1 राजेन्द्र हिस्सा 1/12 एंव प्रार्थी कम संख्या 2 बबलू का हिस्सा 1/12 तथा स्वयं अप्रार्थी कम संख्या 4 श्रीलाल हिस्सा 1/12 के वैधानिक एंव कानूनी तौर पर अधिकारी है। उक्त अनुपात से प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी कम संख्या 4 श्रीलाल अपने नाम भूमियो को खातेदारी मे दर्ज करवाने एंव उक्त अनुपात से ही अप्रार्थी कम संख्या 4 श्रीलाल के 1/4 हिस्से की भूमियो का विभाजन कराने के भी वैधानिक एंव कानूनी तौर पर अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम संख्या 5 तहसीलदार छबडा के सम्बन्धित रेवेन्यु अधिकारियो से सम्पर्क कर उक्त वर्णित शामलाती खाते की भूमियां हिस्सा 1/4 अप्रार्थी कम संख्या 4 श्रीलाल के हिस्सा 1/12, को प्रार्थी कम 1 राजेन्द्र के नाम एंव हिस्सा 1/12 को प्रार्थी क्रम संख्या 2 बबलू के नाम एंव हिस्सा 1/12 को स्वयं अप्रार्थी कम संख्या 4 श्रीलाल के नाम खातेदारी मे दर्ज करने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु प्रार्थीगण की कोई सुनवाई नहीं की अन्त मे दिनांक 20/08/2024 को पुनः अनुरोध करने पर अप्रार्थी कम संख्या 5 तहसीलदार छबड़ा द्वारा प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय मे खातेदारी का प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम संख्या 4 से भी अपने 1/4 हिस्से की भूमि में से हिस्सा 1/12 प्रार्थी राजेन्द्र के नाम तथा हिस्सा 1/12 प्रार्थी बबलू के नाम एंव हिस्सा 1/12 स्वयं के नाम खातेदारी मे दर्ज कराने एंव उक्त अनुपात से हिस्सा 1/4 का विभाजन कर विभाजित शुदा भूमिया प्रार्थीगण के नाम पृथक पृथक रूप से खातेदारी में दर्ज कराने का कई मर्तबा अनुरोध किया। किन्तु वह टालम टूल करता रहा अन्तः मे दिनांक 22.09.2024 को पुनः अनुरोध करने पर अपने 1/4 हिस्से की भूमियो को अन्यंत्र रहन, बैचान तथा हस्तान्तरण करने की प्रार्थीगण को धमकी दी। यदि अप्रार्थी कम संख्या 4 को जयें अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसलावखद पाबन्द नहीं किया गया तो वह उक्त वर्णित भूमियो मे दर्ज अपने 1/4 हिस्से को अन्यंत्र रहन, वैय, तथा हस्तान्तरण कर देगा जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को दीगर मुकदमे बाजियो मे मशरूफ होकर जेरबार होना पड़ेगा। और भंयकर रूप से आर्थिक क्षति होगी। जिसकी पूर्ति होना नितान्त असंम्भव हो जावेगा। अतः प्रार्थीगण, अप्रार्थी कम संख्या 4 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण प्रथम बार दिनांक 20/08/2024 को उत्पन्न हुआ जब कि अप्रार्थी कम संख्या 5 तहसीलदार छबड़ा द्वारा प्रार्थीगण को खातेदारी का प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश करने की हिदायत देने पर एंव द्वितीय बार दिनांक २२रू२२५ को अप्रार्थी कम संख्या 4 के द्वारा अपने 1/4 हिस्से की भूमि मे से हिस्सा 1/12 प्रार्थी कम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ा 1 एंव हिस्सा 1/12 प्रार्थी कम संख्या 2 के नाम खातेदारी मे दर्ज कराने एंव उक्त नुपात से भूमियो का विभाजन करने से कतई इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्य सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1,3,4 की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी क्रम 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम अमीनपुरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 72 नकल जमाबन्दी ग्राम अमीनपुरा सम्वत 2057–60 खाता संख्या 15 एवं स्वंय का शपथ पत्र पेश किया गया।

अप्रार्थी क्रम 1,3,4 ने अपने जवाब में बताया कि अप्रार्थी क्रम 1,3,4 अप्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम अमीनपुरा तहसील छवडा जिला बारां राजस्थान मे भूमियां खसरा नम्बर 167 रकबा 0.5184 हैक्टयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.6691 हैक्टयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.4426 हैक्टयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.6301 हैक्टयर अवस्थित है जो हम अप्रार्थीगण के पिता श्री घांसी के वारिसान 1 ता 4 के कब्जे काश्त व खातेदारी मे दर्ज है। उक्त वर्णित सम्पत्ति मुझ अप्रार्थी संख्या 4 श्रीलाल के कब्जे काश्त में स्थित होने से व मुझ प्रतिवादी के हिस्से की भूमि 1/4 पर मुझ अप्रार्थी का कब्जा काश्त जन्म से चला आ रहा है। यह कि मुझ अप्रार्थी की शादी आज से लगभग 35वर्ष पूर्व प्रार्थीगण कम संख्या 1 व 2 की माता सुमित्रा बाई के साथ हुई थी शादी के बाद से प्रार्थीगण की माता सुमित्रा व अप्रार्थी कम 4 एक साथ जीवन यापन करते चले आ रहे थे जिस के नुत्फे से प्राथी संख्या 1 राजेन्द्र का जन्म हुआ जिसके बाद से अप्रार्थी संख्या 4 व प्रार्थी संख्या 1 की माता सुमित्राबाई का नाथा प्रथा से दूसरी शादी राजेन्द्र के जन्म के बाद से दूसरे पति देवीलाल निवासी अबाला तहसील खानपुर जिला कोटा राजस्थान मे नाथा प्रथा से शादी की जिस के नुत्फे से प्रार्थी संख्या 2 बबलू का जन्म हुआ था। मुझ अप्रार्थी संख्या 4 की पत्नि सुमित्रा के नाथे जाने के बाद मुझ अप्रार्थी संख्या 4 ने दूसरी शादी राधाबाई से की उसके मेरे द्वारा उत्पन्न सन्तानो की संख्या 2 पुत्र देवेन्द्र कुमार 22 वर्ष 2. अशोक कुमार व तीन पुत्रीया 1 सोनीबाई 35वर्ष 2. ओकेश बाई आयु 32वर्ष 3 लक्ष्मीबाई आयु 20 वर्ष उत्पन्न हुये मुझ अप्रार्थी के बच्चो की पढ़ाई लिखाई व शादी खर्च के लिए वर्तमान में कृषि भूमि की सख्त आश्यकता होने व बच्चो की परवरिश के लिए रूपयो की आवश्यकता होने के कारण मे उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 2 बबलू को छोड़ कर सम्पूर्ण कृषि भूमि मेरे हिस्से 1/4 मे मेरे जायज वारिसान पुत्र राजेन्द्र देवेन्द्र कुमार अशोक कुमार व तीन पुत्रीया सोनीबाई 2 ओकेशबाई 3 लक्ष्मीबाई कुल 6 वारिसान कायम मुकामान है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आरजी ग्राम अमीनपुरा तहसील छबड़ा में स्थित है। जो प्रार्थी के पिता अप्रार्थी क्रम 4 श्रीलाल तथा अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 के शामलाती खातेदारी में चली आ रही है। विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता का हिस्सा 1/4 है। विवादित आराजी पैत्रक भूमि है जो प्रार्थी के दादा से प्राप्त हुई है। विवादित आराजी पैत्रक सम्पत्ति होने से प्रार्थी का जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अप्रार्थी क्रम 4 के हिस्से की भूमि में वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त है प्रार्थीगण विवादित आराजी में अपना हिस्सा 1/12, 1/12 प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी क्रम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (राज.)

पने हिस्से 1/4 की भूमि को अन्यत्र रहन बेचान करने पर आमादा है अप्रार्थी क्रम 4 ने भूमि का बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। एवं अप्रार्थीगण का ताफैसला वाद पाबन्द फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण घांसी के पुत्र व पुत्रिया है विवादित आराजी ग्राम अमीनपुरा में स्थित है। अप्रार्थीगण पिता घांसी के वारिसान है अप्रार्थी क्रम 4 के हिस्सा 1/4 पर अप्रार्थी क्रम 4 का कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी क्रम 4 की शादि सुमित्रा बाई से हुई थी। सुमित्रा बाई से प्रार्थी क्रम 1 राजेन्द्र ने जन्म लिया। प्रार्थी की माता सुमित्रा बाई नाते चली गई। दुसरे पति देवीलाल से प्रार्थी क्रम 2 का जन्म हुआ। अप्रार्थी क्रम 2 देवीलाल का पुत्र है अप्रार्थी क्रम 4 ने दुसरी शादि राधाबाई से की उससे 2 पुत्र देवेन्द्र, अशोक कुमार व तीन पुत्रिया सोना बाई, आकेश बाई, लक्ष्मीबाई पैदा हुए अप्रार्थी के बच्चों की पढाई लिखई के लिए व शादि खर्चे के लिए वर्तमान में कृषि भूमि की आवश्यकता है उक्त भूमि प्रार्थी क्रम 2 बबलु को छोडकर सम्पूर्ण भूमि मेरे हिस्से 1/4 में मेरे जायज वारिसान के नाम दर्ज कर दी जावें। प्रार्थी क्रम 2 बबलु का विवादित भूमि में कोई हिस्सा नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा परिवर्तित ग्राम अमीनपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 72 में अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 का नाम बतौर खातेदार शामलाती खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम अमीनपुरा सम्वत् 2057–60 खाता संख्या 15 में घांसी पुत्र देवा कोम मेहर सा0देह बतौर खातेदार दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेजात से यह साबित होता है कि विवादित आराजी पैत्रक सम्पति है जो प्रार्थी के दादा घांसी के खातेदारी थी। उक्त भूमि मृतक घांसी के बाद नामान्तरण संख्या 152 दिनांक 26.01.2003 से श्रीलाल, कैलाश, पुत्र घांसी, बदरी बाई, अनार बाई, पुत्रिया घांसी दौली बाई, बेवा घांसी का नाम दर्ज होने का नोट अंकित है। अप्रार्थी 4 ने भी प्रार्थी 1 का भूमि मे अधिकार होना स्वीकार किया है अर्थात विवादित आराजी में प्रार्थीगण के अधिकार निहित है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के अधिकारों का निर्धारण मूलवाद में प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतों के आधार पर किया जाना जायेगा। तब तक वाद बहुलता को रोकने के लिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 4 को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम अमीनपुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 167 रकबा 0.5184 है0 खसरा नम्बर 168 रकबा 1.6691 है0 खसरा नम्बर 48 रकबा 0.4426 है0 में हिस्सा 1/4 में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति को बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा